



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

प्रधान आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

कोच्चि KOCHI

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

फा.सं. ॥/39/14/2018 -रा.भा.

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

\_\_\_\_\_

तारीख/Date: 29.06.2021

सेवा में/ To

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद आयुक्तालय, कोच्चि, कोचिन-18

All the members of the O L I C, Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi, Cochin-18.

महोदय/महोदया/ Sir/Madam,

विषय: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 17.06.2021 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

Sub: Minutes of the quarterly Meeting of the Official Language Implementation Committee held on 17.06.2021.

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि-18 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 17.06.2021 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए इस के साथ संलग्न है। सभी संबन्धित अधिकारियों से अनुरोध है कि समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

Please find enclosed a copy of the minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee (OLIC) of the Office of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi-18 held on 17.06.2021. All concerned Officers are requested to take necessary action to ensure the compliance of the decision taken by the Committee.

भवदीय/Yours faithfully,

(डॉ अजितेश राधाकृष्णन/Dr. AJITESH RADHAKRISHNAN) संयुक्त आयुक्त(का.व सत.)/ JOINT COMMISSIONER(P&V)


## प्रतिलिपि /Copy to:

- महा निदेशक, निष्पादन प्रबंधन महा निदेशालय, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, इन्द्र प्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
   The Director General, Directorate Performance Management, Customs,
- Central Excise & Service Tax, "D" Block, I P Estate, New Delhi 2.
  2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क। केन्द्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र।

The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise & Customs, C.R.Building, I.S.Press Road, Thiruvananthapuram Zone.

- 3. आयुक्त के निजी सचिव/ सभी अनुभाग प्रमुख/ मण्डल कार्यालय P.S to Commissioner/ All Section Heads/ Divisions
- 4. सभी केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त
  All the Commissioner's of Central Tax & Central Excise.







आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 17.06.2021 को आयोजित तिमाही बैठक के कार्यवृत।

Minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi held on 17.06.2021

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 17.06.2021 को अपराहन 03.30 बजे केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि प्रधान आयुक्त श्री के आर. उदय भास्कर की अध्यक्षता में आयुक्तालय के सम्मलेन कक्ष में संयुक्त आयुक्त (का. व सत.) और विरष्ठ अनुवाद अधिकारी के साथ आयोजित की गई। मुख्यालय के अनुभाग प्रमुख और संयुक्त /सहायक आयुक्तों और मंडल कार्यालयों के प्रभारी सहायक आयुक्तों ने गूगल मीट - ऑनलाइन माध्यम से बैठक में भाग लिया | बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया |

The quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi was convened with the Joint Commissioner (P& V) and Sr. Translation Officer in Hqrs. office on 17.06.2021 at 03.30 pm under the Chairmanship of Shri K.R. Uday Bhaskar, Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi in the Conference Hall of the Commissionerate. Assistant Commissioners in charge of sections in Headquarters and divisional offices attended the meeting through Google Meet – Online. The following members attended the meeting.

क्र.सं S.No.	अधिकारी का नाम(सर्वश्री/श्रीमती) Name of the Officer(S/Shri/Smt)	पदनाम Designation	अनुभाग /मंडल Section/Division
1	डॉ.अजितेश राधाकृष्णन	संयुक्त आयुक्त[का.व सत.]	मुख्यालय
	Dr. Ajitesh Radhakrishnan	Joint Commissioner[P&V]	Hgrs.

2	एस. वीरमुत्तु	संयुक्त आयुक्त	मुख्यालय
	S.Veermuthu	Joint Commissioner	Hqrs.
3	हरीश के.	संयुक्त आयुक्त	एर्णाकुलम मंडल
	Harish K.	Joint Commissioner	Ernakulam Division
4	महेंद्रवर्मारा	उप आयुक्त	काक्कनाड मंडल
	Mahendravarmaa Ra	Deputy Commissioner	Kakkanad Division
5	एस.सुरेश S.Suresh	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	(का.व सत.)/ (P&V)
6	टी एच माइकेल	सहायक आयुक्त	इडुक्की मंडल
	T.H.Michael	Assistant Commissioner	Idukki Division
7	बीना आर. Beena R.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	न्याय.नि.,बं.वसूली, एसवीएलडीआरएस Adjn., Arrear Recovery,
8	वी शांति V.Shanthi	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	Review & SVLDRS तक.,सांख्यिकी,ई डी पी, संसद प्रश्न व जी एस टी कक्ष Technical, Statistics, EDP, Parliament Questions & GST Cell
9	रोमि पैनाडन Romi Pynadan	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	त्रिश्शूर व चालक्कुडी मंडल Thrissur & Chalakkudy Division
10	रॉय जोसफ	अधीक्षक	पेरुम्बाव्र मंडल
	Roy Joseph	Superintendent	Perumbavoor Division
11	श्रीमती रोसेलिंड जोस थॉमस कोरुत Smt. Rosalind Jose Thomas Koruthu	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी Senior Translation Officer	मुख्यालय Hqrs.

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और बैठक आरंभ की। The Chairman welcomed all the members of the Committee and commenced the meeting.

- I पिछली बैठक के निर्णयों पर कार्रवाई / Action taken on the decisions of the last meeting.
- a. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। Documents coming under section 3(3) of OL Act, 1963 should be issued only in bilingual form:

समिति को सूचित किया गया कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि भविष्य में भी इसे सख्ती से पालन किया जाएं। पिछली तिमाही में 52 कागजात राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए गए और उन सभी कागजातों को हिन्दी में भी जारी किए गए।

The Committee was informed that section 3(3) of OL Act, 1963 is being followed. The Chairman directed that the same may be strictly followed in future too. During the previous quarter 52 papers were issued under section 3(3) of OL Act, 1963 and all those papers were issued in Hindi too.

कार्रवाई: प्रशासनिक अधिकारी(मु.), प्रशासन, तकनीकी,न्यायनिर्णयन, सतर्कता अनुभागों के अधीक्षक, जन संपर्क अधिकारी, राजभाषा अनुभाग

Action: AO(Hqrs.), Supdt.s of Admn., Technical, Adjn., Vigilance sections, PRO, OL Section b. विभागीय पत्रिका [ई-पत्रिका] "केरली" का प्रकाशन /Publication of departmental magazine [e-magazine]"Kairali :-

बैठक के दौरान आयुक्तालय की ई -पित्रका "ई - कैरली" ऑनलाइन माध्यम से प्रकाशित की गई | साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय ने श्री आदर्श के दास, निरीक्षक को, जिन्होंने ई पित्रका बनाने में तकनीकी सहायता दी, सराहना पात्र और अन्य रचयिताओं को, जिन्होंने पित्रका के लिए अपनी रचनाएं दी थी, धन्यवाद पत्र देने का आदेश भी दिया |

Commissionerate's e-magazine e-kairali was released during the meeting. Along with that the Chairman gave orders to give appreciation letter to Shri Adarsh K.Das, Inspector, who gave technical assistance for the e-magazine, and thanks letters to all other writers who gave articles for the magazine.

कार्रवाई:राजभाषा अनुभाग / Action: OL Section

c. नव नियुक्त अधिकारीयों के लिए हिंदी कार्यशाला / Hindi workshop for all newly recruited officers :-

समिति को सूचित किया गया कि दिनांक 23.04.2021 को सभी नव नियुक्त अधिकारियों के लिए ऑनलाइन हिंदी कार्यशाला चलाई गई थी | कार्यशाला में 52 अधिकारी भाग लिए थे |

The Committee was informed that an online Hindi workshop was conducted for all newly appointed officers on 23.04.2021. 52 officers participated in the workshop.

d. अनुभागों व मंडल कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण / Official Language Inspection of Sections and Divisions:-

समिति को सूचित किया गया कि प्रधान आयुक्त की ओर से वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा सभी अनुभागों एवं मंडल कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया गया | निरीक्षण रिपोर्ट बनाई गई तथा दो मंडल कार्यालयों के कुछ नेमी पत्रों का द्विभाषीकरण भी किया गया | अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि सभी मंडल कार्यालयों को नेमी पत्रों का द्विभाषी फॉर्मेट भेजा जाएं |

The Committee was informed that Official Language Inspections were conducted in all the sections and divisions by the Sr. Translation Officer on behalf of the Pr. Commissioner. Inspection reports were made and routine letters of two divisions were bilingualised. The Chairman directed that the bilingual format of the routine letters may be forwarded to all divisions.

कार्रवाई:राजभाषा अनुभाग,सभी मंडल कार्यालय / Action: OL Section, All divisions

e. हिंदी पुस्तालायल के लिए हिंदी पुस्तकों की खरीद / Purchase of Hindi Books for Hindi library:-

समिति को सूचित किया गया कि मार्च महीने में पुस्तकालय के लिए हिंदी पुस्तकें खरीदी गईं |

The Committee was informed that Hindi books were purchased for the library in the month of March.

f. आयुक्तालय का नाम पट्ट त्रिभाषी रूप में / Commissionerate's name board in Tri-lingual form:-

समिति को सूचित किया गया कि आयुक्तालय का त्रिभाषी नाम पट्ट बनाने का आदेश मार्च महीने में ही दिया गया था, लॉक डाउन की वजह से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है |

The Committee was informed that order to make the trilingual board of the Commissionerate was given in the month of March itself, it is not delivered yet due to lockdown.

कार्रवाई:राजभाषा, जन संपर्क अधिकारी अनुभाग / Action: OL Section, PRO Unit

## II तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा / Review of the quarterly report :-

समिति को आयुक्तालय की हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता एवं तीनों क्षेत्रों में जाने वाले हिन्दी पत्रों की प्रतिशतता सूचित की गई । वे इस प्रकार है:-

पिछली तिमाही (2020 अक्टूबर,नवम्बर,दिसम्बर) में हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता - 53.4% वर्तमान तिमाही (2021 जनवरी,फरवरी,मार्च) में हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता - 49.7% यथाक्रम दिनांक 31.12.2020, 31.03.2021 को समाप्त होने वाली तिमाहियों में क - 48.7%-46.6%,ख-55.5%-शून्य पत्राचार, ग - 48.4%-47.3%।

The Committee was informed percentage of Hindi noting and percentage of Hindi correspondence to three regions:-It is as follows:-

Percentage of Hindi noting in previous quarter(October, November, December) – 53.4% Percentage of Hindi noting in current quarter(January,February,March) – 49.7%

A-48.7%-46.6%,B-55.5%-Nil correspondence C-48.4%-47.3% for the quarters ending on 31.12.2020,31.03.2021 respectively.

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि ई ऑफिस में उपलब्ध हिंदी टिप्पणियों का उपयोग करें | अध्यक्ष महोदय ने निवारक, समीक्षा, विधिक एवं न्यायनिर्णयन अनुभागों में सामान्य टेम्पलेट्स(जैसे कि आदेश की संख्या, प्राप्ति की तिथि आदि सूचित करने के लिए) बनाने का निदेश भी दिया |

The Chairman directed to make use of the Hindi notes available in e-office. The Chairman directed to make common templates in Preventive, Review, Legal and Adjudication sections (for eg. showing the no., date of receipt of the order etc)

कार्रवाई:सभी अनुभाग/मंडल Action: All Sections/Divisions

## III विविध/Miscellaneous :-

अगली तिमाही के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम/ Proposed programme for the next Quarter:-

a. क्षेत्र 'क' व 'ग' को भेजने वाले सभी अनुभागों के पत्रों का द्विभाषीकरण /Bilingualisation of all routine letters sent from all sections to Region A& C

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने सुझाव दिया कि हिंदी पत्राचार बढाने हेतु क्षेत्र 'क' व 'ग' को भेजने वाले सभी अन्भागों के पत्रों का द्विभाषीकरण हिंदी अन्भाग की सहायता से किया जाएं |

Sr. Translation Officer suggested that in order to increase the Hindi correspondence bilingualisation of all routine letters sent from all sections to Region A& C may be done with the help of Hindi section.

कार्रवाई:सभी अनुभाग Action: All Sections

b. वर्दी की द्विभाषी बैज- संसदीय राजभाषा समिति को दिया गया आश्वासन / Bilingual badges on Uniforms – Assurance to Parliamentary Committee on OL. Badges on Uniforms समिति को सूचित किया गया कि जन संपर्क अधिकारी इकाई में द्विभाषी बैज की कमी है और नव नियुक्त और नए पदोन्नत अधिकारियां इसे खरीद नहीं सका । यह संसदीय राजभाषा समिति को दिया गया आश्वासन भी है । अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि वर्दी पर लगाने वाले बैज द्विभाषी रूप में कराए जाएं और जन

संपर्क अधिकारी इकाई में रखे जाएं ताकि इसकी आपूर्ति नव नियुक्त और नव पदोन्नत अधिकारियों को की जा सके।

The Committee was informed that there is shortage of bilingual badges in PRO unit and newly appointed and newly promoted officers couldn't purchase it. It is also an assurance to the Parliamentary Committee on OL. The Chairman directed that badges on the uniforms may be made in bilingual form and kept in the PRO unit so that it can be supplied to the newly appointed and newly promoted officers.

कार्रवाई: जन संपर्क अधिकारी इकाई / Action: PRO unit

c. भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक वर्तनी पर जारी पुस्तक की खरीदी | / Purchase of book on Standard Terminology published by BIS.

अध्यक्ष महोदय ने इस विषय पर वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी को निदेश दिया कि ई-ऑिफ्स में उपलब्ध मानक वर्तनी से इस कार्यालय से संबंधित शब्दों की एक सूची बनाकर सभी संबंधित अधिकारीयों को भेज दी जाएं |

The Chairman on this subject directed the Sr. Translation Officer to make a list of words relevant to our office from the Standard Terminology available in the e-office and share it with all the concerned officers through e-office.

कार्रवाई:राजभाषा हिंदी अनुभाग / Action: OL Hindi Section

सदस्यों से कोई सुझाव न होने पर अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक अपराहन 4.00 बजे समाप्त हुई ।

As no suggestion came from the members the meeting ended at 4.00 pm with vote of thanks to the Chair.

(डॉ.अजितेश राधाकृष्णन / Dr. AJITESH RADHAKRISHNAN) संयुक्त आयुक्त(का.व सत.)/ JOINT COMMISSIONER(P&V)

Page 5 of 5